भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 392
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में देरी

392. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में लगातार हो रही देरी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) पिछले वर्ष में भुगतान में देरी के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों के मामले में औसत देरी की अवधि और शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों (जैसे सड़कें, जल संचयन संरचनाएं, वनरोपण) की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है;
(घ) क्या नियमित रूप से गुणवत्ता संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे हैं; और
(ङ) मनरेगा में हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और दिव्यांगों का पूर्ण समावेशन और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और विशेषकर महाराष्ट्र में उनकी वर्तमान भागीदारी दर क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क और ख): अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थी कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें मस्टर रोल अपलोडिंग से लेकर एफटीओ अनुमोदन तक मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समय -सीमा निर्धारित की गई है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया है।

मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। जो निम्नानुसार है:

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार
- मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित और विलंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श करना।
- समय पर भुगतान और विलंब मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना।
- आवधिक बैठकों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, मध्यावधि समीक्षा आदि के दौरान राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय पर भुगतान और विलंब मुआवजे के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** मजदूरी सीधे केंद्रीय खाते से श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका न्यूनतम हो जाती है और निधि का दुरुपयोग कम हो जाता है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज रोकने में कारगर साबित हुआ है। लगभग 100% निधियों का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है तथा वेतन भुगतान पूर्णतः प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।
- **आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस):** एपीबीएस रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है , जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के आधार से लाभ सीधे बैंक खातों में जमा किए जाते हैं , अधिमानतः आधार आधारित भुगतान , जिससे वितरण प्रक्रिया में कई स्तर कम हो जाते हैं। एपीबीएस बेहतर लक्ष्य निर्धारण, प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और भुगतान में देरी को कम करने , लीकेज पर अंकुश लगाकर अधिक समावेशन सुनिश्चित करने में मदद करता है , जिससे अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस):** कार्यस्थल पर जियो -टैग्ड तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करने से उपस्थिति की सटीक और समय पर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित होती है, जिससे मजदूरी का समय पर भुगतान करने में मदद मिलती है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए तंत्रों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले नियमित निगरानी दौरों और ग्राम सभा द्वारा किए जाने वाले सामाजिक लेखा परीक्षा के अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा भी प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा की जाती है। इन लेखापरीक्षाओं में रिपोर्ट किये गए कुछ मुद्दे निम्नानुसार हैं:

- निधियों का दुरुपयोग
- मशीनरी द्वारा किया गया कार्य
- फर्जी जॉब कार्ड
- कार्य की खराब गुणवत्ता
- कोई कार्य नहीं मिलना
- कार्यफ़ाइल का उचित रखरखाव न किया जाना आदि।

(ड़.): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं और अनुसूची -II, पैरा 15 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी कि लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के तहत पंजीकरण कराया है और काम की मांग की है। अधिनियम में दिव्यांगजनों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसूची-I, पैरा 18 में उल्लेख किया गया है कि , "महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग लोगों और दुर्बलता रोग वाले लोगों के लिए दरों की एक अलग अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि उत्पादक कार्यों के माध्यम से उनकी भागीदारी में सुधार हो सके।"

वार्षिक मास्टर परिपत्र के पैरा 7.12.5 के अनुसार, कार्यस्थल पर्यवेक्षकों (मेट) में से कम से कम 50% महिलाएं, अधिमानतः स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों में से होनी चाहिए।

इसके अलावा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, अपनी भूमि पर व्यक्तिगत परिसंपत्तियां बनाई जा सकती हैं , जिसमें ऐसे परिवार भी काम कर सकते हैं और राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों की अधिसूचित मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी पाने के हकदार होंगे। महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची । के पैरा 5 के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाले कार्यों को निम्नलिखित परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या वासभूमि पर प्राथमिकता दी जाएगी:

(क) अनुसूचित जाति
(ख) अनुसूचित जनजातियाँ
(ग) घुमंतू जनजातियाँ

(घ) विमुक्त जनजातियाँ
(ड.) गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवार
(च) महिला प्रधान परिवार
(छ) शारीरिक रूप से दिव्यांग मुखिया वाले परिवार
(ज) भूमि सुधार के लाभार्थी
(झ) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थी
(ञ) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत लाभार्थियों, तथा उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र लाभार्थी नहीं होने पर , कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना , 2008 में परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे परिवारों के पास जॉब कार्ड हो , जिसमें कम से कम एक सदस्य उनकी भूमि या वासभूमि पर शुरू की गई परियोजना पर काम करने के लिए तैयार हो।

यह योजना सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए उपलब्ध है , जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं। इसके अलावा, वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को 50 दिन का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम , 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (17.07.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महाराष्ट्र राज्य में जिला -वार नियोजित दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या और सृजित कार्यदिवस , महिलाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार की संख्या और महिलाओं द्वारा सृजित कार्यदिवसों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था:

- **परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग:** महात्मा गांधी नरेगा योजना में जियो-टैगिंग 1 सितम्बर 2016 से शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य योजना के तहत निर्मित कार्यों की वास्तविक स्थिति जानना है। 6.36 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया गया है (25.03.25 की स्थिति के अनुसार), जिनका विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया गया है।
- **कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर अनिवार्य व्यय** : अधिनियम के प्रावधान के अनुसार , जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि जिले में लागत के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों का कम से कम 60% भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होगा।
- **सामाजिक लेखापरीक्षा पर बल:** सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी&एजी) के कार्यालय के सहयोग से लेखापरीक्षा मानक तैयार और अनुमोदित कर दिए गए हैं तथा उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। अब तक 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित की हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को राज्य , जिला और ब्लॉक स्तर पर न्यूनतम कोर स्टाफ की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है।
- **क्षमता विकास:** महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों को हाल ही में शुरू की गई पहलों जैसे बेयर फुट टेक्नीशियन (बीएफटी) के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है , ताकि उन्हें कौशल विकास के स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके, ताकि वे लेआउट बनाने, किए गए कार्य का माप लेने आदि में सहायता कर सकें। अब तक 20 राज्यों में 9,186 बीएफटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है
- **सिक्योर** (**रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने के लिए अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर**): सिक्योर को 28 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 703 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। अब, कार्यों की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां सिक्योर के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा सकती हैं , जिससे पारदर्शिता आएगी और प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- **ग्राम पंचायतों की जीआईएस आधारित योजना :** मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करते हुए वाटरशेड विकास सिद्धांतों (रिज टू वैली दृष्टिकोण) के आधार पर ग्राम पंचायतों की एकीकृत समग्र योजना शुरू की है। 2.69 लाख ग्राम पंचायतों की योजना में से अब तक 2.65 लाख ग्राम पंचायतें पूरी हो चुकी हैं।
- **जनमनरेगा ऐप: -** जनमनरेगा ऐप एक नागरिक -केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन है। जनमनरेगा ऐप पहले से ही जियोटैग की गई छह करोड़ से अधिक महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्तियों का पता लगाने की अनुमति देता है। नागरिक कार्यक्रम के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के बारे में प्रतिक्रिया तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अपने कार्य से संबंधित आवश्यक जानकारी भी दे सकते हैं। लाभार्थी भुगतान स्थिति, उपस्थिति, एपीबीएस स्थिति और जॉब कार्ड संबंधी जानकारी जैसे विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे जॉब कार्ड नंबर दर्ज करके भुगतान , कार्य आवंटन, कार्य की मांग आदि सहित विभिन्न मुद्दों पर समस्या दर्ज करते हैं। इस ऐप में बेहतर पहुंच के लिए टेक्स्ट -टू-स्पीच सुविधा भी शामिल है।
- **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस):** इस ऐप का शुभारंभ 21 मई, 2021 को किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए , सभी कार्यस्थलों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना /परियोजना को छोड़कर) के लिए लाभार्थियों की एक दिन में दो बार जियोटैग की गई तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप (एनएमएमएस ऐप) के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान शुरू किया गया है और इन उपस्थितियों को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है , जिससे कार्यक्रम पर नागरिक निगरानी बढ़ जाती है और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।

- **क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप:** इस ऐप से कार्यस्थलों से क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान प्राप्त जांच -परिणामों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे जांच-परिणामों के विश्लेषण में व कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलती है।
- **तकनीकी निरीक्षण संरचना :** एक विशिष्ट तकनीकी सेटअप इंजीनियरिंग निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है
- **क्षेत्र-स्तरीय निगरानी:** विनिर्देशों के अनुसार कार्य का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों और क्षेत्र सहायकों द्वारा निरंतर क्षेत्र-स्तरीय निगरानी की जाती है।
- **गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण:** राज्य और जिला दोनों स्तरों पर कार्य करते हुए ये प्रकोष्ठ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी करते हैं। वे निरीक्षण करते हैं , अनुपालन रिपोर्ट जारी करते हैं, तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देते हैं।

सिक्योर जैसे नियोजन उपकरणों , कई स्तरों पर तकनीकी पर्यवेक्षण , पारदर्शिता के लिए जियो -टैगिंग और समुदाय-आधारित निगरानी के माध्यम से , महात्मा गांधी नरेगा योजना यह सुनिश्चित करता है कि निर्मित परिसंपत्तियां - जैसे सड़कें, जल संरक्षण संरचनाएं, वनीकरण आदि - स्थायी, आवश्यकता-आधारित और उच्च गुणवत्ता वाली हों।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध -II

राज्य: महाराष्ट्र					
क्र.सं	जिले	वित्त वर्ष 2025-26 में नियोजित दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष 2025-26 में दिव्यांगों द्वारा सृजित कार्य दिवस	वित्त वर्ष 2025-26 में उन महिलाओं की संख्या जिन्हें ईएमपी प्रदान किया जाएगा	वित्त वर्ष 2025-26 में महिलाओं द्वारा सृजित कार्य दिवस
1	अहमदनगर	231	4214	49688	975503
2	अकोला	2311	47140	36259	685920
3	अमरावती	1048	30238	72892	1753451
4	बीड	587	12323	121193	2413171
5	भंडारा	4343	93078	100325	2097160
6	बुलढाना	159	2170	35279	477319
7	चंद्रपुर	591	10708	74343	1417268
8	छत्रपति संभाजी नगर	972	17007	73614	1452400
9	धाराशिव	165	3250	26163	459157
10	धुले	431	5054	42190	706704
11	गडचिरोली	858	13177	64812	1018029
12	गोंदिया	285	4916	136601	2929400
13	हिंगोली	118	2913	35444	755346
14	जलगांव	292	5463	56812	1046012
15	जलना	298	3720	58999	684450
16	कोल्हापुर	88	1616	19558	333248
17	लातूर	214	4514	46187	977670
18	नागपुर	214	4274	20110	391940
19	नांदेड़	261	4996	67011	1252467
20	नंदुरबार	129	1915	45173	699956
21	नासिक	808	13898	66932	1194345
22	पालघर	871	12641	83516	1259286
23	परभनी	342	7681	54172	1121348
24	पुणे	59	691	12105	161718

25	रायगढ़	47	644	6794	93637
26	रत्नागिरि	134	1946	10992	137510
27	सांगली	53	1044	11303	188749
28	सतारा	211	2587	22071	276957
29	सिंधुदुर्ग	105	1295	8361	113726
30	सोलापुर	190	2386	28379	427258
31	थाइन	80	1197	13830	240860
32	वर्धा	260	5007	18696	399380
33	वाशिम	923	17249	47678	908226
34	यवतमाल	683	14649	86142	1782437
	कुल	**18361**	**355601**	**1653624**	**30832008**

****